न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

1-Ju2020RTA223-065 Vishnuram etc Vs Jagdish etc

1. विष्णुराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
2. छोगाराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई फौत के का.मु.
    a. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी छोगाराम उर्फ प्रभुदयाल
    b. प्रेमनारायण पुत्र छोगाराम उर्फ प्रभुदयाल
    c. रामनारायण पुत्र छोगाराम उर्फ प्रभुदयाल
3. हरिराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
4. चुतराराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
5. महीराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
6. फरसाराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई

निवासीगण जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. जगदीशराम पुत्र मालाराम विश्नोई
2. बंशीराम पुत्र प्रहलादराम फौत के का.मु.
    a. अर्जुनराम पुत्र बंशीराम विश्नोई
    b. जयराम पुत्र बंशीराम विश्नोई
    c. ओमप्रकाश पुत्र बंशीराम विश्नोई
    d. झीमो पत्नी बंशीराम विश्नोई

निवासीगण लोहावट विश्नावास
हाल निवासी ग्राम नोखडा गोदारान
तहसील बाप, जिला जोधपुर

3. राजस्थान राज्य

जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फलोदी दिनांक 16 अक्तूबर 2003 राजस्व वाद संख्या 54/1999

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जगदीशराम बनाम विष्णुराम इत्यादि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

--- 0 ---

उपस्थित -

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया
2. रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई
3. रेस्पो. संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री
4. रेस्पो. संख्या तीन की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

2-Ju2018RTA223-118 Jamalkhan Vs Jagdish

1. जमाल खॉ पुत्र मिश्री खां मुसलमान
2. जीमयत पुत्री लालदीन मुसलमान
3. जीम पत्नी लाखे खां मुसलमान
4. खानु पुत्र लाखे खां मुसलमान
5. गुले खां पुत्र लाखे खां मुसलमान
6. आखर खां पुत्र लाखे खां मुसलमान
7. सुमार खां पुत्र मिश्री खां मुसलमान
8. अमिन खां पुत्र कायमदीन खां मुसलमान
9. वायद खां पुत्र महेन्द्र खां मुसलमान
10. सफीत पत्नी नूरदीन खां मुसलमान
11. अमीन खां पुत्र दाद खां मुसलमान
12. हीराराम पुत्र मेहसाराम के कायममुकामान
    i. चुतराराम पुत्र हीराराम मेघवाल
    ii. सगताराम पुत्र हीराराम मेघवाल

निवासीगण ग्राम रोला, ग्राम पंचायत बारु तहसील बाप, जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. जगदीशराम पुत्र मालाराम विश्नोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. विष्णुराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
3. छोगाराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई फौत के का.मु.
   i. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी छोगाराम उर्फ प्रभुदयाल
   ii. प्रेमनारायण पुत्र छोगाराम उर्फ प्रभुदयाल
   iii. रामनारायण पुत्र छोगाराम उर्फ प्रभुदयाल
4. हरिराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
5. महीराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
6. फरसाराम पुत्र कृष्णचन्द विश्नोई
7. अर्जुनराम पुत्र बंशीराम विश्नोई
8. जयराम पुत्र बंशीराम विश्नोई
9. ओमप्रकाश पुत्र बंशीराम विश्नोई
10. झीमो पत्नी बंशीराम विश्नोई
    निवासीगण लोहावट विश्नावास
    हाल निवासी ग्राम नोखडा गोदारान
    तहसील बाप, जिला जोधपुर
11. राजस्थान राज्य
    जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 16 अक्तूबर 2003 राजस्व वाद संख्या 54/1999 जगदीशराम बनाम विष्णुराम इत्यादि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

--- 0 ---

उपस्थित -

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी
2. रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई
3. रेस्पो. संख्या 2 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुराम पूनियॉ
4. रेस्पो. संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 17 अगस्त 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/1999 जगदीशराम व अन्य बनाम विष्णुराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अक्तूबर 2003 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपीलाण्ट्स विष्णुराम इत्यादि ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील संख्या जोधपुर/अपील/डिक्री/165/2020 (कंप्युटराज्ड अपील संख्या 2020/00146) उनवान विष्णुराम व अन्य बनाम जगदीशराम इत्यादि तथा अपीलाण्ट्स जमाल खां इत्यादि ने अपील संख्या जोधपुर/अपील/डिक्री/118/2018 (कंप्युटराज्ड अपील संख्या 2018/00295) उनवान जमाल खॉ व अन्य बनाम जगदीशराम इत्यादि प्रस्तुत की है। इन दोनों अपीलों से संबंधित मूल वाद, विवादग्रस्त आराजियात, विवाद-बिन्दु तथ्य एवं परिस्थितियॉ एक समान होने के कारण पक्षकारान द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए दोनों अपील प्रकरणों को हमफीता किया जाकर कार्यवाही साथ-साथ किये जाने का निश्चय किया गया। तदनुसार इस निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक जगदीशराम पुत्र मालाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण विष्णुराम, छोगाराम, हरिराम, चुतराराम, महीराम,फरसाराम पिसरान कृष्णचन्द विश्नोई एवं बंशीलराम पुत्र प्रहलादराम के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश कर जाहिर किया कि गांव रोळा तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 2/1547 रकबा 710 बीघा 12 बिस्वा बारानी चारम एवं खसरा संख्या 4/1548 रकबा 175 बीघा 05 बिस्वा बारानी चाराम कुल किता दो रकबा 885 बीघा 17 बिस्वा वादी-रेस्पो. एवं प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी-रेस्पो. ⅛ प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से छः का ¾ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 का ⅛ हिस्सा है, वादपत्र में पक्षकारान के मध्य उक्त आराजियात का मौके पर विक्रम संवत 2054 की वैशाख शुक्ल तृतीया को बंटवारा भी होना जाहिर किया गया, जिसके अनुसार खसरा संख्या 2/1547 में से 88 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 4/1548 में से 21 बीघा 18 बिस्वा कुल 110 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी-रेस्पो. के बंट में, खसरा संख्या 2/1547 में से 532 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 4/1548 में से 131 बीघा 09 बिस्वा कुल 664 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विष्णुराम, छोगाराम, हरिराम, चुतराराम, महीराम, फरसाराम पिसरान कृष्णचन्द विश्नोई के बंट में तथा खसरा संख्या 2/1547 की 88 बीघा 16 बिस्वा और खसरा संख्या 4/1548 में से 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी बंशीराम पुत्र प्रहलादराम को बंट में रखी जाना वादपत्र में जाहिर किया गया। उक्त बंटवारे के बाद से मौके पर सभी सहखातेदारान द्वारा अपने-अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग काश्त करना जाहिर करते हुए वाद पत्र में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का अनुरोध किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दिनांक 03 मार्च 1999 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये, दिनांक 27 अक्तूबर 1999 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या एक से छः के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किये जाने की तामील कुनिन्दा की टिप्पणी सहित प्राप्त हुए, तामील कुनिन्दा की इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06 मार्च 2000 को उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या सात के सम्मन पुनः पेश किये जाने हेतु वकील वादी को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका 17 अप्रेल 2001 के अनुसार निर्देश दिये जाते रहे, मगर पुनः सम्मन पेश किया जाना, प्रतिवादी संख्या सात पर सम्मन जारी किया जाना, सम्मन की तामील होना अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 29 नवम्बर 2002 तक चलता रहा, उक्त दिनांक को वादी-पक्ष की ओर से साक्ष्य करवाना नहीं चाहने पर वादी की साक्ष्य बन्द की गयी। तत्पश्चात वादी-पक्ष की बहस समायत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16 अक्तूबर 2003 पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर लिया और वादग्रस्त आराजियात में वादी-रेस्पो. संख्या एक का ⅛ हिस्सा बंट में स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज किये जाने और वाद के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने तथा लगान का सात गुणा नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर्चा जारी किये जाने का निर्देश दिया। साथ ही ही वाद के संलग्न नजरी नक्शा डिकी पर्चा का भाग रहेगा, यह भी अपीलाधीन निर्णय में वर्णित किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय एवं डिकी के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 30 जुलाई 2018 को अपीलाण्ट्स जमाल खां इत्यादि ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील संख्या जोधपुर/अपील/डिकी/118/2018 (कंप्युटराज्ड अपील संख्या 2018/00295) उनवान जमाल खॉ व अन्य बनाम जगदीशराम इत्यादि मय मियाद प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत की।

जिसके संबंध में बहस करते हुए अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी ने जाहिर किया कि ग्राम रोळा के मूल खसरा संख्या 2 व 4 काफी बडे खसरान है जिसके कई खातेदारान है, अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम रोळा (वारू) के खसरा संख्या 2/1551 व अन्य खसरा संख्या 4/1551 में आई हुई है और खसरा संख्या 2 व 4 बहुत बडा रकबा होने के कारण खसरा संख्या 2/1549, 5/1550, 2/1547 व 4/1548 मौके पर अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर रेस्पो. द्वारा अपने वादपत्र में गलत नजरी नक्शें एवं तथ्यों के आधार पर पेश दावे में पारित निर्णय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने तरमीम के निर्देश दे दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के पूर्व न तो भूमिधारी तहसीलदार से कोई रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तलब की गयी है और न ही निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरूप पहले प्राथमिक डिकी पारित कर विधिवत संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए अंतिम डिकी जारी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय की समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 2/1547 एवं खसरा संख्या 4/1548 के मौके पर अपीलाण्ट्स का कब्जा है, अतः वादग्रस्त आराजी एवं अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट्स प्रत्यक्षरूपेण प्रतिकूल तौर पर प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अपील संख्या जोधपुर/अपील/डिकी/165/2020 (कंप्युटराज्ड अपील संख्या 2020/00146) उनवान विष्णुराम व अन्य बनाम जगदीशराम इत्यादि के संबंध में अधिवक्त अपीलाण्ट्स श्री लाधूराम पूनिया ने कथन किया कि मूल दावा 03 मार्च 1999 को संस्थित किया गया, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को पहली बार भेजे गये सम्मन 27 अक्तूबर 1999 को इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए कि प्रतिवादी घर पर नहीं है, बाहर नौकरी पर रहते है। उक्त सम्मन न्यायालय के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के बिना ही मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट की गयी है। इसके बाद आदेशिका दिनांक 04 जनवरी 2000 में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के सम्मन पुनः पेश करने के आदेश दिये गये है, जिस आदेशिका में "1 से" पर कांट छांट की हुई है। इसके बाद की आदेशिका दिनांक 06 मार्च 2000 में सम्मन तारीख पेशी 27 अक्तूबर 1999 के अनुसार बावजूद तामील गैरहाजिर बताकर इकतरफा कार्यवाही की गयी है। जाहिर है कि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ सम्मनों की सम्यक तामील नहीं हुई है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स श्री लाधूराम पूनिया ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के पूर्व न तो भूमिधारी तहसीलदार से कोई रिपोर्ट तलब की गयी है और न ही निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरूप पहले प्राथमिक डिकी पारित कर विधिवत संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए अंतिम डिकी जारी की गयी है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील हुए बिना ही उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, जिससे अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी विधिवत नहीं हो पायी। अतः धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. श्री पूनाराम विश्नोई ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी-रेस्पो. जगदीशराम एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से सात की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी-रेस्पो. जगदीशराम का ⅛ हिस्सा, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से छः का ¾ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का ⅛ हिस्सा है, इन सहखातेदारान के मध्य उक्त आराजियात का मौके पर विक्रम संवत 2054 की वैशाख शुक्ल तृतीया को बंटवारा हो गया था, जिसके अनुसार खसरा संख्या 2/1547 में से 88 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 4/1548 में से 21 बीघा 18 बिस्वा कुल 110 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी-रेस्पो. के बंट में, खसरा संख्या 2/1547 में से 532 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 4/1548 में से 131 बीघा 09 बिस्वा कुल 664 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स विष्णुराम, छोगाराम, हरिराम, चुतराराम, महीराम, फरसाराम पिसरान कृष्णचन्द विश्नोई के बंट में तथा खसरा संख्या 2/1547 की 88 बीघा 16 बिस्वा और खसरा संख्या 4/1548 में से 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी बंशीराम पुत्र प्रहलादराम का बंट में रखी गयी तथा इसी अनुसार भौतिक तौर पर मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काश्त की जाने लगी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. द्वारा उक्त बंटवारे के बाद से मौके पर सभी सहखातेदारान द्वारा अपने-अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग काश्त करने लगे। इसी अनुसार नजरी नक्शें सहित अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सूचना अनुपस्थित रहे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ द्वारा उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही न्यायोचित एवं विधिसम्मतः अमल में लाई गयी है। प्रस्तुत अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद काफी विलम्ब से पेश की गयी है, जो मियाद-बाधित होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि-

1. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने वादग्रस्त आराजियात वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण संख्या एक से सात की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना, जिसमें वादी-रेस्पो. संख्या एक का ⅛ हिस्सा होना, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से छः का ¾ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 का ⅛ हिस्सा होना, इन पक्षकारान के मध्य विकम संवत 2054 की वैशाख शुक्ल तृतीया को बंटवारा होना, बंटवारे के अनुसार खसरा संख्या 2/1547 में से 88 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 4/1548 में से 21 बीघा 18 बिस्वा कुल 110 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी-रेस्पो. संख्या एक के बंट में, खसरा संख्या 2/1547 में से 532 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 4/1548 में से 131 बीघा 09 बिस्वा कुल 664 बीघा 08 बिस्वा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से छः विष्णुराम, छोगाराम, हरिराम, चुतराराम, महीराम, फरसाराम पिसरान कृष्णचन्द विश्नोई के बंट में तथा खसरा संख्या 2/1547 की 88 बीघा 16 बिस्वा और खसरा संख्या 4/1548 में से 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या सात बंशीराम पुत्र प्रहलादराम का बंट में रखी जाना जाहिर किया गया। उक्त बंटवारे के बाद से मौके पर सभी सहखातेदारान द्वारा अपने-अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग काश्त करना जाहिर करते हुए वाद पत्र में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का अनुरोध किया।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह भी विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दिनांक 03 मार्च 1999 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये, दिनांक 27 अक्तूबर 1999 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या एक से छः के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किये जाने की तामील कुनिन्दा की टिप्पणी सहित प्राप्त हुए।

3. सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं है, जबकि सम्मनों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सम्यक तामील के लिए आबाद मकान पर चस्पांदगी के जरिये तामील मात्र न्यायालय के आदेश के आधार पर ही की जा सकती है।

4. आबाद मकान पर चस्पादंगी के जरिये दर्शायी गयी तामील वाले सम्मनों की पुश्त पर तामीलकुनिन्दा की स्पष्ट रिपोर्ट है कि **"मैं तस्दीक करता हूँ कि विष्णुराम घर हाजर नहीं है, उदयपुर ही रहता है ......"।** अन्य प्रतिवादी हरिराम के सम्मन की पुश्त पर रिपोर्ट है **"मैं तस्दीक करता हूँ कि हरिराम घर पर नहीं है, वह जोधपुर सर्विस करते है ...."।** यही स्थिति चस्पादंगी वाले अन्य सम्मनों की पुश्त पर की गयी तामीलकुनिन्दा की रिपोर्ट बाबत पायी जाती है। इन सम्मनों पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में इस बाबत कुछ भी वर्णित नहीं किया गया है कि क्या वह प्रतिवादी के मकान को स्वयं पहले से जानता था अथवा किसी अन्य के द्वारा प्रतिवादी के मकान की पहिचान की गयी थी? इतना ही नहीं, सम्मन किसके रुबरु चस्पा किया गया, इस बाबत भी कोई अंकन सम्मन की पुश्त पर नहीं किया गया है? आबाद मकान पर सम्मन की चस्पादंगी के संबंध में सीपीसी के आदेश 5 नियम 17 व 19 का सार इस प्रकार है --

Procedure when defendant refused to accept service, or cannot be found:- Order V rules 17 and 19 of CPC is relevant to answer this question. "Where the defendant or his agent or such other person as aforesaid refused to sign the acknowledgement, or where the serving officer, after using all due and reasonable diligence,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

cannot find the defendant, who is absent from his residence at the time when service is sought to be effected on him at his residence within a reasonable time, and there is no agent empowered to accept service of the summons on his behalf, nor any other person on whom service can be made, the serving officer shall affix a copy of the summons on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the court from which it was issued, with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person (if any) by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed." Rule 19 provides that where a summons is returned under r. 17, the court shall, if the return under that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer, and may, if it has been so verified, examine the serving officer on oath, or cause him to be so examined by another Court, touching his proceedings, and may make such further enquiry in the matter as it thinks fit; and shall either declare that the summons has been duly served or order such service as it thinks fit. See. Dr. K.C. Verma vs Asstt. Cit, (2004) 89 TTJ Del 129.

5. मगर आलौच्य मामले में सीपीसी के उपरोक्त प्रावधानों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए कुनिन्दा की इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06 मार्च 2000 को उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश जारी किये गये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. इसके बाद आदेशिका दिनांक 04 जनवरी 2000 में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के सम्मन पुनः पेश करने के आदेश दिये गये है, जिस आदेशिका में ~~"1 से"~~ पर कांट छांट की हुई है।
7. प्रतिवादी संख्या सात के सम्मन पुनः पेश किये जाने हेतु वकील वादी को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका 17 अप्रेल 2001 के अनुसार निर्देश दिये जाते रहे, मगर पुनः सम्मन पेश किया जाना, प्रतिवादी संख्या सात पर सम्मन जारी किया जाना, सम्मन की तामील होना अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। अर्थात प्रतिवादी संख्या सात पर सम्मन की सम्यक तामील होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आधार पर प्रकट नहीं होता है।
8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 29 नवम्बर 2002 तक चलता रहा, उक्त दिनांक को वादी-पक्ष की ओर से साक्ष्य करवाना नहीं चाहने पर वादी की साक्ष्य बन्द की गयी। तत्पश्चात वादी-पक्ष की बहस समायत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16 अक्तूबर 2003 पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जबकि निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार **वादी को अपना वाद साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वयं को सिद्ध करना होता है, प्रतिवादीगण की** अनुपस्थिति अथवा उसकी किसी कमजोरी मात्र का लाभ देते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मगर आलौच्य प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया और वादी-पक्ष की ओर से समुचित साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत किये बिना हीं दावा स्वीकार कर लिया गया।

9. *वादग्रस्त आराजियात में वादी-रेस्पो. संख्या एक का ⅛ हिस्सा बंट में स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज किये जाने और वाद के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने तथा लगान का सात गुणा नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करने पर डिकी पर्चा जारी किये जाने का निर्देश दिया। साथ ही वाद के संलग्न नजरी नक्शा डिकी पर्चा का भाग रहेगा, यह भी अपीलाधीन निर्णय में वर्णित किया। ऐसा करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रकरणों में समुचित साक्ष्य-सबूत के आधार पर वाद सिद्ध हो जाने पर प्राथमिक डिकी जारी की जाकर संबंधित तहसीलदार के जरिये मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाते है और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए ही फाइनल डिकी जारी की जाती है। आलौच्य मामले में* ***अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त पैरा 9***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में विहित इस विधिक प्रावधान की भी अनदेखी की गयी है।

उक्त समस्त विवेचन के आधार विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स के इन तर्कों को बल प्राप्त होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य वाद की कार्यवाही में निर्धारित न्यायिक प्रकिया का गम्भीर हनन हुआ है और प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना हीं मूल वाद में सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए विधि-विरूद्ध ढंग से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी तथा अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही बाबत कोई जानकारी समुचित समय में नहीं होना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए यह अपीलें मियादशुमार की जाती है।

राजस्व अभिलेख जमाबंदी (खेवट/खतौनी) संवत 2070-2073 ग्राम रोला पटवार हळका बारू तहसील बाप के अनुसार खसरा संख्या 2/1594 रकबा 15 बीघा बारानी सोयम जमाल खां पुत्र मिश्री खां मुसलमान साकिन देह, खसरा संख्या 2/1550 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा बारानी चारम सुमार खां पुत्र मिश्री खां मुसलमान, खसरा संख्या 2/1551 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा बारानी चारम जमाल खां पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मिश्री खां मुसलमान, खसरा संख्या 2/1594 रकबा 15 बीघा बारानी सोयम जमाल खां पुत्र मिश्री खां मुसलमान, खसरा संख्या 2/1545 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा बारानी चारम, खसरा संख्या 163 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा बारानी दोयम व खसरा संख्या 224 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा बारानी अव्वल जमीयत पुत्री लालदीन और इसी प्रकार मूल खसरा नम्बर 2 व 4 से बने अन्य बट्टा नम्बरान के खसरा नम्बरान की भूमि रेस्पो. के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो राजस्व नक्शा प्रदर्श 2 उपलब्ध है, उसका अवलोकन करने पर विदित होता है कि **मूल खसरा नम्बर 2 व 4 में विभिन्न खसरान नम्बरान की विधिवत अभी तक तरमीम नहीं हुई है।** ऐसी स्थिति में आलौच्य प्रकरण में मूल वाद के संलग्न नजरी नक्शें के आधार पर अपीलाधीन निर्णय की पालना में राजस्व नक्शें में किसी प्रकार की तरमीम की जाती है तो निश्चय ही उक्त मूल खसरा संख्या 2 व 4 से बने बट्टा नम्बरान वाले खसरान के खातेदारान के हित प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अदालत हाजा अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी के तर्कों से सहमत होते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट्स जमाल खां इत्यादि को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 54/1999 जगदीशराम बनाम विष्णुराम आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अक्तूबर 2003 निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरूप, न्यायोचित एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मतः नहीं होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है, जो तदनुसार खारिज किये जाते है और उक्त निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ प्रस्तुत अपील आलौच्य दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मूल वाद में **नये सिरे से प्रतिवादीगण/हितबद्ध पक्षकारान को जबाब** एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें और निर्धारित विधिक प्रकिया एवं संबंधित विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा व तरमीम की विधिसम्मतः कार्यवाही की जावे। चूंकि उभय पक्ष को सुने जाने के आदेश दिये गए है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 निष्प्रभावी माना जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/8/2020
(नखत दान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर